

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ ८(३०)त.शि./१९६

जयपुर, दिनांक ६/३/१८

आदेश

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम २०१० के अंतर्गत प्रधानाचार्य/संयुक्त निदेशक के पद की दिनांक १.४.२०१६ की स्थिति अनुसार अन्तरिम वरिष्ठता सूची (प्रोविजल वरिष्ठता सूची) निम्नानुसार एतद द्वारा जारी की जाती है।

क्रम सं	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	नियमित चयन तिथि
1	श्री ए.के चौहान	२६.१.१९५७	२०००-०१
2	श्री आर.के शर्मा	२२.११.१९५६	२००१-०२
3	श्री गिर्ज ग्रसाद पारीक	१५.७.१९५६	२००२-०३
4	श्री पी.के मेहता	८.३.१९६१	२००३-०४
5	श्री वी.एस शर्मा	१५.६.१९५९	२००३-०४
6	श्री पुरुषोत्तम सांखला	३.१०.१९५९	२००३-०४
7	श्री डी.एस यादव	१.७.१९६०	२००३-०४
8	श्री आर.के गुप्ता	१.७.१९५६	२००३-०४
9	श्री एस.पी सुथार	१६.९.१९५६	२००६-०७
10	श्री जे.के जैन	३.९.१९५७	२००६-०७
11	श्री गंगाराम डाबरिया (अजा.)	१५.४.१९५७	२००६-०७
12	श्री निरंजन सिंह (अजा.)	१६.४.१९५६	२००६-०७
13	श्री प्रेमचंद (अजा.)	१०.७.१९६२	२००६-०७
14	श्री अरुण कुमार	२.१०.१९५८	२००८-०९
15	श्रीमती अमिता बाफना	२७.८.१९६०	२००८-०९
16	श्री विजय सिंह	१.१०.१९५८	२००९-१०
17	श्री सीताराम जालंधरा	१.१.१९६२	२००९-१०
18	श्री अशोक कुमार	२५.१०.१९६२	२००९-१०

उपरोक्तानुसार वरिष्ठता के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञापि की तिथि से १० दिवस के अन्दर भेजी जा सकती है। निर्धारित समय पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वरिष्ठता सूची को अतिंम रूप दे दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी आपत्ति सीधे राज्य सरकार को भिजवाए तथा एक प्रति निदेशक प्राविधिक शिक्षा जोधपुर को भिजवावें।

भवदीय

(एम.एम.सेतिया)
संयुक्त सचिव त.शि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, मा० मंत्री महोदय तकनीकी शिक्षा
2. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुरको प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कर संबंधित अधिकारी को सूचित करने का शम्म करें।
4. निजी/रक्षित पत्रावली

३०३० २५१०

(अब्दुल रजाक)
सहायक शासन सचिव त.सि.